न्यायालय सहायक कलक्टर एव कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 111/2022 दायर दिनांक–21.06.2022

1. सुभाष पुत्र गौरूराम जाति मेघवाल निवासी कोलसिया तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–वादी

बनाम

1. नत्थूराम पुत्र भानाराम जाति मेघवाल निवासी कोलसिया तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री सज्जन कुमार चाहर

वकील प्रतिवादी :– श्री विधाधर सिंह जाखड़

दावा बाबत : घोषणार्थ व रिकॉर्ड दुरूस्ती

–:: निर्णय ::–

दिनांक–21.07.2025

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि राजस्व ग्राम कोलसिया की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1507/611 रकबा 0.06 है0 व खसरा नम्बर 750 रकबा 4.62 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 4.68 है0 स्थित है। उक्त भूमि सम्वत् 2031 तक ईशर पुत्र भोमा, सुखा पुत्र किशना, बिड़दू कालू पुत्र जीवण के नाम से प्रत्येक को 1/4–1/4 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज था परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने बिड़दू के फौत होने पर बिड़दू के दो वारिसान भानाराम व गौरूराम के नाम से नामांतकरण दर्ज होना चाहिए था परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने बिना किसी जांच पड़ताल किये बिड़दू के एक वारिस भानाराम पुत्र नत्थूराम के नाम इंतकाल दर्ज कर दिया जबकि इंतकाल बिड़दू के फौत होने के बाद उसके वारिस भानाराम व गौरूराम के नाम से दर्ज होना चाहिए था व भानाराम व गौरूराम के फौत होने के बाद नत्थूराम पुत्र भानाराम व गौरूराम के फौत होन के बाद नत्थुराम पुत्र भानाराम सुभाष पुत्र गौरूराम प्रत्येक के 1/8–1/8 हिस्से का नामांतकरण दर्ज होना चाहिए था इस प्रकार नामांतकरण संख्या 517 दिनांक 08.09.1971 को निरस्त फरमाया जावे व राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नत्थूराम पुत्र भानाराम हिस्सा 1/4 को दुरूस्त किया जाकर 1/8 हिस्सा दर्ज किया जावे तथा 1/8 हिस्सा सुभाष पुत्र गौरूराम का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाकर 1/8 हिस्से की घोषणा की जावे इसलिए उक्त वाद बाबत रिकॉर्ड दुरूस्ती का पेश किया है।

प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से पेश जबाब दावा का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि – उक्त भूमि की खातेदारी मालाराम बनाम हीरालाल आदि मु0 नं0 78/2011 डिक्री दिनांक 16.05.2017 के द्वारा प्राप्त हुई थी जिसमें 1/8 हिस्सा श्रीराम व अनिल का है 1/8 हिस्सा परमेश्वरी देवी , मदनलाल मातादीन राकेश का है 1/4 हिस्ससा उत्तरदाता नत्थूराम उर्फ नथमल पुत्र भानाराम का है जिनका मुख्त्यार उसका पुत्र राजराम सुनियां है। इस प्रकार इनका 1/2 हिस्सा है और 1/2 हिस्सा 49 व्यक्तियों का है। इसी प्रकार काबिज काश्त है। जिसने विभाजन का मुकदमा न्यायालय मे विचाराधीन है।

गोरूराम व श्रवणी देवी के कोई संतान पैदा नही हुई। गौरूराम नाऔलाद फौत हो गया था। वादी की माता श्रवणी देवी गोरूराम की मृत्यू के पश्चात अपना ससुराल छोड़कर ग्राम बीदासर तहसील लक्ष्मणगढ के रामू उर्फ रामलाल नाम के व्यक्ति से विवाह कर लिया तथा विवाह के पश्चता ग्राम बीदासर में अपने दुसरे पति रामू उर्फ रामलाल के साथ अपना वैवाहिक [illegible] का निर्वहन करने लगी रामू उर्फ रामलाल व श्रवणी देवी के पुत्र वादी सुभाष पैदा हुआ था [illegible] के [illegible] होने के पश्चात वादी जब एक दो वर्ष का था तब श्रवणी देवी के पति रामलाल की मृत्यु हो गई बी[illegible] में उकसे पति के पास कोई जमीन जायदाद नही थी रहने का भी कोई उपयुक्त [illegible] 1962–63 में वादी [illegible] को लेकर वापिस कोलसिया आ गई थी और यहा आकर पुनः [illegible] बस्ती रहने लग गई आपस[illegible] हुआ तो गांव के 10–15 मौजिज व्यक्ति इकटठा हुअे और उन्होने यह फैसला किया कि श्रवणी देवी गोरूराम के पास भी रही है और अब विधवा हो गई है यह कहा जायेगी इसके साथ में नाबलिकक बच्चा भी है जो किसी का भी हो लेकिन बच्चा तो है ही यह अपना जीवन यापन कर सके इसलिए बिड़दू की

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:18:58 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

जमीन में से 22 बीघा कच्ची जमीन उसको निर्वाह भत्ते के लिए दान में दे दी और उसके नाम उसका खाता भी अलग बनवा दिया जिसके खसरा नम्बर 1110 रकबा 1.4000 है0 तथा ख0 नं0 1551/1116 रकबा 0.9640 तथा ख0 नं0 885 रकबा 0.0600 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.4240 है0 है और क्योंकि खाता उसके नाम करवाना थ्ज्ञा इसकारण सुभाष के पिता का नाम जो बीदासर गांव का रामलाल था उसका नाम न लिखाकर उसके पिता का नाम गोरूराम लिखा दिया जिससे रिकॉर्ड में उसका नाम आ जाये बाकी गोरूराम का पुत्र नही है। वादी ने उक्त तथ्यों को छुपाकर झुठा दावा किया है। बिडदूराम के भानाराम, गोरूराम दो पुत्र व एक पुत्री रामकोरी देवी है जिसे वादी ने पक्षकार नही बनाया है। इस प्रकार वादी का आवश्यक पक्षकार के अभाव में दावा खारिज होने योग्य है। नामांतकरण तत्कालिन समय सही दर्ज हुआ है। वादी का इस भूमि पर कोई विधिक अधिकार नही है। इसलिए निवेदन है कि पक्षकारों के अभाव में दावा खारिज किया जावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगणों की ओर से जबाब देही पेश होने पर प्रकरण में निम्न प्रकार से तनकीयात कायम की गई।

1. तनकी नम्बर 1 :– आया वाद में वादी ग्राम कोलसिया की भूमि खाता संख्या नया 296 पुराना 269 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 1507/611 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 750 रकबा 4.62 है0 में वादी को 1/8 हिस्से का तथा प्रतिवादी नं0 1 को 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कराने, नामांतकरण को निरस्त करा रिकॉर्ड दुरूस्त करवाने का अधिकारी है।

भा.स.वादी

2. तनकी नम्बर 2 :– आया वाद में गोरूराम नाऔलाद फौत हुआ था अतः वाद खारिज किया जावे।

भा.स.प्रतिवादी नं0 1

3. तनकी नम्बर 3 :– आया वाद में आवश्यक पक्षकारों के अभाव में उक्त दावा खारिज होने योग्य है।

भा.स.प्रतिवादी नं0 1

4. दादरशीः–

तनकीयात कायम होने पर सहादत ली गई। उभय पक्षों की ओर से सहादत नही पेश करना जाहिर किया। वादी ने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजात् पेश किये गयें।

सहादत प्रस्तुत होने पर बहस अंतिम वकील उभय पक्ष लिखित बहस प्रस्तुत की गई। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करते हुए निर्णय तनकीवार निम्नानुसार हैः–

- तनकी नम्बर 1 :– तनकी नं0 1 को साबित करने का भार वादी पर है। उक्त तनकी में वादी की ओर से ग्राम कोलसिया की भूमि खाता संख्या नया 296 पुराना 269 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 1507/611 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 750 रकबा 4.62 है0 में वादी को 1/8 हिस्से का तथा प्रतिवादी नं0 1 को 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कराने, नामांतकरण को निरस्त करा रिकॉर्ड दुरूस्त करवाने का अनुतोष चाहा है। उक्त भूमि का नामांतकरण बिड़दू के फौत होने पर बिड़दू के दो वारिसान भानाराम व गौरूराम के नाम से नामांतकरण दर्ज होना चाहिए था किन्तु बिड़दू के एक वारिस भानाराम पुत्र नत्थूराम के नाम इंतकाल दर्ज कर दिया जबकि इंतकाल बिड़दू के फौत होने के बाद उसके वारिस भानाराम व गौरूराम के नाम से दर्ज होना चाहिए था। वादी स्व0 गौरूराम का वारिसान है अतः गौरूराम के हिस्से की भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित है। अतः तनकी नं0 1 को साबित करने में वादी सफल रहा है। तनकी नं0 1 वादी के पक्ष में तय की जाती है।
- तनकी नम्बर 2 व 3:– उक्त तनकियां एक दुसरे से सम्बन्धित है इसलिए उक्त तनकियों का एक साथ विवेचना कि जा रही है। तनकी नम्बर 02 व 03 को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। उक्त तनकीयों को प्रतिवादी को प्रतिवादी नं0 1 साबित नही कर पाया है। अतः उक्त तनकीयां प्रतिवादी नं0 1 के विरूद्व तय की जाती है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर वाद वादी स्वीकार [illegible] उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है।

:: **आदेश** ::–

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम कोलसिया की भूमि खाता संख्या नया 296 पुराना 269 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 1507/611 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 750 रकबा 4.62 है0 में वादी को 1/8 हिस्से का तथा प्रतिवादी नं0 1 को 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा नामांतकरण संख्या 517 दिनांक 08.09.1971 को निरस्त किया जाता है। घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार नवलगढ़ को दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:18:58 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. दे.)
नवलगढ़

से तहरीर जारी हो। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 21.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट,(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:18:58 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : घोषणार्थ व रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा सं0:– 111/2022

(सुभाष बनाम नत्थूराम आदि)

अंतिम पर्चा डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **सुशील कुमार सैनी** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 21.07.2025 निर्णय अनुसार वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम कोलसिया की भूमि खाता संख्या नया 296 पुराना 269 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 1507/611 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 750 रकबा 4.62 है0 में वादी को 1/8 हिस्से का तथा प्रतिवादी नं0 1 को 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा नामांतकरण संख्या 517 दिनांक 08.09.1971 को निरस्त किया जाता है। घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार नवलगढ़ को दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 21.07.2025 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:18:58 IST
Reason: SelfAttested